

पत्रावली भारत नजकी दिनांक 25-4-18 को पेश हो

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

25-4-18

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपास्थित।  
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/  
र-0. बैठक में उपस्थित होने से  
पत्रावली दिनांक 23-5-18 को पेश होवे।  
रीफ

22-5-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय  
आपके द्वारा केम्प में रखने हेतु पत्रकार  
को केम्प में उपस्थित होने हेतु नोटिस  
जारी है, पत्रावली दिनांक 7-6-18 को  
केम्प स्थल पर पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

7-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय  
आपके द्वारा सिविल डिफेंस में प्रस्तुत  
हुई। पत्रावली में वादी द्वारा अवेरनेस  
में वाद विद्रो करने का उर्धना पत्र  
पेश किया गया। वादी द्वारा कहा गया  
कि यह वाद सिविल न्यायालय में  
चलाना चाहता है तथा वादी उर्धना  
वाद में कोई कार्य नहीं करनी चाहता है।  
वाद विद्रो करना चाहता है। वादी का  
वाद विद्रो उर्धना पत्र स्वीकार किया जाता है।  
वाद निर्णय स्थल न्यायालय में स्तुताप गथा,  
पत्रावली के माल शुमार होकर वाद पर में कर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)